GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)
****

No. 2015/TG-I/23/YTSK/Suggestions **New Delhi, dated 07.04.2015**

Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.

(COMMERCIAL CIRCULAR NO. 21 OF 2015)

Sub: Clarification regarding Yatri Ticket Suvidha Kendra (YTSK)
Ref: Instructions issued vide CC no. 33, 35, 37, 39, 40 & 45 of 2014.
****

With reference to instructions mentioned above, certain clarifications/ demands were raised by YTSKL which were examined in consultation with Finance & Accounts Directorate of Ministry of Railways and the following has been decided:-

(i) The condition of non-release of berths out of Emergency Quota for tickets issued by YTSKL may be removed. (para 9(vii) of the Draft Agreement enclosed with CC no. 39 of 2014)

(ii) Para 9(ix) of Draft Agreement enclosed with CC no. 39 of 2014 may be revised as under:-

"9.(ix) Tickets cancelled prior to preparation of reservation charts must be handed over along with summary of transaction in PRS office, by next working day as per the procedure order to be finalised by zonal railway concerned based on the scheme as well as draft agreement. Failure to deposit these tickets by YTSKL will result in stoppage of facility of issue of tickets by YTSKL and further action as provided in para 22 below."

(iii) In para 9 (xi) of Draft Agreement enclosed with CC no. 39 of 2014, the intention behind mentioning that no group booking will be permitted on YTSKL terminal is that YTSKL will not accept request for more than six passengers from one party.

(iv) The word 'pre-bought tickets' mentioned in para 9(xvi) of Draft Agreement enclosed with CC no. 39 of 2014 means zero value ticket i.e. tickets which are issued without realizing any fare and on the authority of tickets already issued. This however, does not restrict the booking of onward journey of the same party by YTSK.

Dell/B/my documents LETTER/letter_2015

--2/--

(v) Para 11 (i) & (ii) of Draft Agreement enclosed with CC no. 39 of 2014 & para 4 of YTSK Scheme enclosed with CC no. 33 of 2014 will stand amended as under:-

"(i) The timing of operations of terminals in the premises of licensees for general reservation shall be from 0830 hours to 2200 hours on week days and from 0830 hours to 2000 hours on Sundays for booking general PRS and UTS tickets.

(ii) The booking hours for Tatkal tickets will start from 10:30 hours at these centres or as per timings specified by Ministry of Railways from time to time."

(vi) Para 13.2 (iii) of Draft Agreement enclosed with CC no. 39 of 2014 will be revised as under:-

"13.2 (iii) In case the licence is renewed after the expiry of this agreement, the security deposit shall continue (unless revised). However, in case the licence is not renewed after the expiry of the agreement, the security deposit shall be refunded after realizing therefrom all amounts due by the licensee to the Government either as sale proceeds of tickets, penalties or otherwise whatsoever and accounts adjusted. The decision of the Government as to the amount due to the Government by the licensee on this account shall be final and binding on the licensee. Security Deposit shall stand forfeited in case of breach of contract and or termination of the licence due to unsatisfactory service."

(vii) As regards depositing of requisition slip as indicated in para 13.5 (vii) of Draft Agreement enclosed with CC no. 39 of 2014, it is clarified that YTSKL are not required to deposit any requisition slip for issuing of unreserved tickets through UTS.

(viii) The word 'Government' indicated in para 17 (ii) of Draft Agreement enclosed with CC no. 39 of 2014 means any Government Agency.

(ix) The word 'balance sheet' mentioned in para 17 (vii) of Draft Agreement enclosed with CC no. 39 of 2014 means station balance sheets as prescribed under the codes.

(x) The records to be preserved as mentioned in para 20 of Draft Agreement enclosed with CC no. 39 of 2014 refers to the office copies of returns/statements sent to Railways.

(xi) Para 22(i) of Draft Agreement enclosed with CC no. 39 of 2014 will stand revised as under:-

Mdm

"(a) Any case of violation of provisions of this agreement or the rules of Indian Railways by the licencee would invite deterrent punishment by way of penalties equivalent to maximum of ₹50,000/- which may include termination of licence.

(b) The penalty up to ₹25,000/- can be decided by Sr. DCM/DCM and penalty above ₹25,000/- & up to ₹50,000/- can be imposed on the recommendation of Sr. DCM/DCM and with the approval of DRM.

(c) Termination can be mooted by Sr. DCM with detailed reasons which should be approved by DRM with prior concurrence of associate finance."

(xii) As regards termination of agreement as mentioned in para 22 (ii) & (iii) of Draft Agreement enclosed with CC no. 39 of 2014, it is clarified that these are for two different types of circumstances. The licence can be terminated under para 22 (ii) after giving one month's notice in case the Railway decides to terminate the scheme even if there is no irregularity on the part of YTSKL. However, para 22 (iii) applies to the case where YTSKL has committed any irregularity and in that case licence can be terminated without giving any notice.

(xiii) As regards separate indication of service charges being collected by YTSK, CRIS will develop a separate field to capture service charge component separately for YTSKL and Indian Railways. In the meantime, the procedure stipulated in para 13.5 (i) should be followed scrupulously.

2. Necessary instructions may be issued to all concerned.

3. This issues with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.

DA: As above.

(Dr. S.K. Ahirwar)
Director Traffic Commercial (G)
Railway Board

No. 2015/TG-I/23/YTSK/Suggestions — New Delhi, dated 07.04.2015

Copy to :

FA&CAO, all Zonal Railways
Director (Audit), All Zonal Railways

For Financial Commissioner, Railways

Dell/B/my documents LETTER/letter_2015

Copy to:

1) CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2) ADG/PR, EDV (T), EDFC, DF(C), OSD/TC, F(C) & V (SS) branches of Railway Board.
3) MD/IRCTC, Bank of Baroda Building, Parliament Street, New Delhi.
4) General Manager/PRS-I, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5) Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6) The Principals, Zonal Training Centers, Central Railway, Bhusaval, Eastern Railway, Dhanbad, Northern Railway, Chandausi, NE Railway, Muzaffarpur, NF Railway, Alipurduar, Southern Railway, Trichy, South Central Railway, Maula Ali, SE Railway, Sini, Western Railway, Udaipur.
7) Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Luknow-2260011.
8) General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9) General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10) Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No.370, Rail Bhawan, New Delhi.
11) Secretary General, Indian Railway Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12) Secretary General, All India RPF Association, Room No.256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13) CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhavan, 33/1, J L Nehru Road, Kolkata-71.

*****

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

सं॰ 2015/टी जी-1/23/वाईटीएसके/सजेशन्स **नई दिल्ली, दिनांक: 07.04.2015**

मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक
सभी क्षेत्रीय रेलें

(2015 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 21)

विषय: यात्री टिकट सुविधा केन्द्र (वाईटीएसके) के संबंध में स्पष्टीकरण।
संदर्भ: 2014 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 33, 35, 37, 39, 40 और 45 के तहत जारी अनुदेश।
*****

ऊपर उल्लिखित अनुदेशों के संदर्भ में वाईटीएसकेएल द्वारा कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए थे/कुछ मांग की गई थी, जिनकी जांच रेल मंत्रालय के वित्त और लेखा निदेशालय के साथ परामर्श करके की गई और इस संबंध में निम्नलिखित विनिश्चय किया गया है:

(i) वाईटीएसकेएल द्वारा जारी टिकटों के लिए आपात कोटे में से बर्थ रिलीज न करने की शर्त को हटा दिया जाए। (2014 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 39 के साथ संलग्न करार के मसौदे का पैरा 9 (vii)।

(ii) 2014 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 39 के साथ संलग्न करार के मसौदे के पैरा 9 (ix) में निम्नानुसार संशोधन किया जाए:

"9.(ix) पीआरएस कार्यालय के लेन-देन के सार के साथ आरक्षण चार्टों को तैयार करने से पूर्व रद्द की गई टिकटों को संबंधित क्षेत्रीय रेलवे द्वारा इस स्कीम और करार के मसौदे के आधार पर अंतिम रूप दिए जाने वाले प्रक्रिया आदेश के अनुसार अगले कार्य दिवस तक अवश्य सौंप दिया जाए। वाईटीएसकेएल द्वारा इन टिकटों को जमा न कर पाने पर वाईटीएसकेएल द्वारा टिकटों को जारी करने की सुविधा बन्द कर दी जाएगी और आगे की कार्रवाई नीचे पैरा 22 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार की जाएगी।"

(iii) 2014 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 39 के साथ संलग्न करार के मसौदे के पैरा 9 (xi) में वाईटीएसकेएल टर्मिनल पर कोई ग्रुप बुकिंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यह उल्लेख करने के पीछे मंशा यह है कि वाईटीएसकेएल, एक पार्टी से 6 से अधिक यात्रियों का अनुरोध स्वीकार नहीं करेगा।

(iv) 2014 के वाणज्यिक परिपत्र सं. 39 के साथ संलग्न करार के मसौदे के पैरा 9 (xvi) में उल्लिखित 'पहले खरीदी गई टिकटें' शब्दों का आशय है कि शून्य मूल्य की टिकट अर्थात् वे टिकटें, जिन्हें कोई किराया वसूल किए बिना और पहले जारी की गई टिकटों के प्राधिकार पर जारी किया जाता है। बहरहाल, इससे वाईटीएसके द्वारा उसी पार्टी के लिए आगे की यात्रा की बुकिंग पर प्रतिबन्ध नहीं लगता है।

--2/--

(v) 2014 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 39 के साथ संलग्न करार के मसौदे के पैरा 11 (i) और (ii) और 2014 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 33 के साथ संलग्न वाईटीएसके स्कीम के पैरा 4 में निम्नानुसार संशोधन किया जाएगा:

"(i) सामान्य आरक्षण के लिए लाइसेंसधारियों के परिसरों में लगाए गए टर्मिनलों की कार्यावधि जनरल पीआरएस और यूटीएस टिकटों की बुकिंग के लिए सप्ताह के दिनों में 08:30 बजे से 22:00 बजे तक और रविवार को 08:30 बजे से 20:00 बजे तक होगी।

(ii) इन केन्द्रों पर तत्काल टिकटों के लिए बुकिंग समय 10:30 बजे अथवा समय-समय पर रेल मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए समय क्रम के अनुसार शुरू होगा।

(vi) 2014 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 39 के साथ संलग्न करार के मसौदे के पैरा 13.2(iii) को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा:

"13.2(iii) इस करार की समाप्ति के बाद लाइसेंस का नवीकरण किए जाने की स्थिति में प्रतिभूति निक्षेप जारी रहेगा (संशोधित न किया गया हो तो)। बहरहाल, करार की समाप्ति के बाद लाइसेंस का नवीकरण न किए जाने की स्थिति में प्रतिभूति निक्षेप में से लाइसेंसधारी द्वारा सरकार को टिकटों की बिक्री राशि, जुर्माने अथवा अन्यथा जो भी हो, देय सभी राशि वसूल करके और लेखा समायोजित करके शेष राशि वापस कर दी जाएगी। इस संबंध में लाइसेंसधारी द्वारा सरकार को देय राशि के बारे में सरकार का निर्णय अंतिम होगा और उसे लाइसेंसधारी को मानना अनिवार्य होगा। संविदा का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में अथवा असंतोषजनक सेवा होने की स्थिति में लाइसेंस समाप्त किये जाने पर प्रतिभूति निक्षेप को जब्त कर दिया जाएगा।"

(vii) 2014 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 39 के साथ संलग्न करार के प्रारूप के पैरा 13.5 (vii) में यथा उल्लिखित मांग पर्ची को जमा करने का संबंध है, इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि वाईटीएसकेएल को यूटीएस के माध्यम से अनारक्षित टिकटों को जारी करने के लिए कोई मांग पर्ची जमा करना अपेक्षित नहीं है।

(viii) 2014 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 39 के साथ संलग्न करार के मसौदे के पैरा 17 (ii) में यथा उल्लिखित 'सरकार' शब्द का आशय किसी सरकारी एजेंसी से है।

(ix) 2014 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 39 के साथ संलग्न करार के मसौदे के पैरा 17 (vii) में यथा उल्लिखित 'तुलना पत्र' शब्द का आशय संहिताओं में निर्धारित स्टेशन के तुलना पत्रों से है।

(x) 2014 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 39 के साथ संलग्न करार के मसौदे के पैरा 20 में यथा उल्लिखित संरक्षित किए जाने वाले रिकार्ड का आशय रेलों को भेजे जाने वाली विवरणियों/विवरणों की कार्यालय प्रतियों से है।

(xi) 2014 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 39 के साथ संलग्न करार के मसौदे के पैरा 22 (i) में निम्नानुसार संशोधन किया जाएगा:

--3/-

"(क) लाइसेंसधारी द्वारा इस करार के किन्हीं प्रावधानों अथवा भारतीय रेलवे के नियमों का उल्लंघन किए जाने के किसी भी मामले में निवारक दण्ड लगाया जा सकता है जिसमें 50,000 रूपए का अधिकतम जुर्माना लगाना और लाइसेंस को समाप्त करना शामिल है।

(ख) 25,000 रूपए तक के जुर्मानों का निर्णय सीनियर डीसीएम/डीसीएम द्वारा लिया जा सकता है और 25,000 रूपए से अधिक और 50,000 रूपए तक का जुर्माना सीनियर डीसीएम/डीसीएम की सिफारिश और मण्डल रेल प्रबन्धक के अनुमोदन से लगाया जा सकता है।

(ग) सीनियर डीसीएम द्वारा विस्तृत कारणों का उल्लेख कर मण्डल रेल प्रबन्धक के अनुमोदन से लाइसेंस समाप्त किया जा सकता है। इसके लिए सह वित्त की पूर्व सहमति अपेक्षित है।

(xii) 2014 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 39 के साथ संलग्न करार के मसौदे के पैरा 22 (ii) और (iii) में यथा उल्लिखित करार को समाप्त करने के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसा दो किस्म की परिस्थितियों में किया जा सकता है। यदि रेलवे इस योजना को समाप्त करने का निर्णय लेती है तो वाईटीएसकेएल की ओर से कोई अनियमितता न किए जाने की स्थिति में भी लाइसेंस को पैरा 22 (ii) के तहत एक माह का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है। बहरहाल, पैरा 22 (iii) उन मामलों में लागू होता है जिनमें वाईटीएसकेएल ने कोई अनियमितता की हो और उस मामले में बिना कोई कारण बताए लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

(xiii) जहां तक वाईटीएसके द्वारा वसूल किए जा रहे सेवा प्रभार को अलग से दर्शाने का सवाल है। क्रिस, वाईटीएसकेएल और भारतीय रेलवे के लिए अलग-अलग सेवा प्रभार के घटक को दर्शाने के लिए एक अलग फील्ड विकसित करेगा। इस बीच यह उल्लेखनीय है कि पैरा 13.5 (i) में निर्दिष्ट प्रक्रिया का भलीभांति पालन किया जाना चाहिए।

2. सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

संलग्न: यथोक्त

(डॉ. एस. के. अहिरवार)
निदेशक यातायात वाणिज्य (सा.)
रेलवे बोर्ड

सं॰ 2015/टी जी-1/23/वाईटीएसके/सजेशन   नई दिल्ली, दिनांक: 07.04.2015

प्रतिलिपि प्रेषित:
वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें
निदेशक, लेखा परीक्षा, सभी भारतीय रेलें

नरेश
कृते वित्त आयुक्त, रेलवे

1. सीसीएम/पीएम एवं सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें।
2. एडीजी/पीआर, कार्यपालक निदेशक सतर्कता(टी), कार्यपालक निदेशक वित्त (सी), निदेशक वित्त (सी), विशेष कार्यधिकारी/टीसी, वित्त (सी) एवं सतर्कता (एसएस) शाखाएं, रेलवे बोर्ड।
3. प्रबंध निदेशक/आईआरसीटीसी,, बैंक ऑफ बडौदा, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली।
4. महाप्रबंधक/पीआरएस-1, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
5. महानिदेशक, प्रोफेसर/प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/वाणिज्य रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा।
6. प्रिंसिपल, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/धनबाद, उत्तर रेलवे/चंदौसी, पूर्वोत्तर रेलवे/मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सीनी, पश्चिम रेलवे/उदयपुर।
7. निदेशक, भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ-2260011
8. जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली।
9. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
10. सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे आफिसर्स एसोसिएशन (एफआरओए), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी आफिसर्स फेडरेशन (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
12. सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256-डी ,रेल भवन, नई दिल्ली।
13. सीटीएम, मेट्रो रेलवे, मेट्रो रेल भवन, 33/1, जे एल नेहरू रोड, कोलकाता-71